महत्वपूर्ण/अतिआवश्यक

261-63 **कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, लखनऊ।**

पत्रांक /जि0का0अधि0/आ0बा0के0संचा0/2021-22दिनांक 22 जून-2021

समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी
जनपद-लखनऊ।

विषय-किराये पर संचालित आ0बा0केन्द्रों के सम्बन्ध में।

पत्र के साथ संलग्न निदेशालय के पत्र संख्या-सी-221 दिनांक 21.06.2021 का सन्दर्भ ले, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन की मंशा के अनुरूप आंगनबाड़ी केन्द्रों को शासकीय भवनों में संचालित कराया जाना है, जिससे उन्हे विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकें।

अतः संलग्न पत्र का विस्तृत अध्ययन कर कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराए एवं निदेशालय द्वारा दिये गये निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रमाण-पत्र एवं सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह योजना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है, अतः इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

संलग्न-उपरोक्तानुसार निदेशालय का पत्र।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
लखनऊ।

पृष्ठाकन सं0- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
लखनऊ

Scanned with CamScanner

—10/6/21

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, तृतीय तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

पत्र संख्या : C-221 /बा0वि0परि0/आ0बा0के0नि0/2021-22 दिनांक 21 जून, 2021

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय : प्रदेश में किराये पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र के सम्बन्ध में।

प्रदेश में कुल संचालित 188982 आंगनबाड़ी केन्द्रों के सापेक्ष 15103 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये पर संचालित हो रहे है। शासन की मंशा के अनुरूप आंगनबाड़ी केन्द्रों को शासकीय भवनों में संचालित कराया जाना है, जिससे उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकें। इस सम्बन्ध में आपके स्तर से निम्न कार्यवाही की जानी है:-

1. (i) किराये के आंगनबाड़ी केन्द्रों को शासकीय भवनों में स्थानान्तरित करने के उद्देश्य से आपके स्तर पर सर्वे अतिशीघ्र कराया जाना है, जिससे वर्तमान में किराये के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की 500 मीटर की परिधि में शासकीय भवन पाये जाने की दशा में सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर उसे स्थानान्तरित किया जाना है।

   (ii) शासकीय भवनों में पर्याप्त स्थान न उपलब्ध होने अथवा नियत परिधि में शासकीय भवन न होने की दशा में निकटवर्ती शासकीय भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र में पर्याप्त स्थान होने पर किराये पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र को स्थानान्तरित किया जाना है।

   (iii) शासकीय भवनों अथवा निकटवर्ती अन्य (पूर्व से संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों) शासकीय भवनों में स्थानान्तरण न हो पाने की दशा में किराये के सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण हेतु वर्तमान संचालन स्थल से 01 कि0मी0 की परिधि में भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना है।

   यदि 15 दिन के अन्दर आप द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर पूर्ण प्रयास के पश्चात् भी कतिपय आंगनबाड़ी केन्द्र स्थानान्तरित होने से छूट जाते है तो उनके सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप पर केन्द्रवार प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा (संलग्न)।

2. बिन्दु संख्या-1 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही के पश्चात् यदि कतिपय आंगनबाड़ी केन्द्र शासकीय भवन में स्थानान्तरित होने से अवशेष रहते है तो ऐसे किराये के भवनों में संचालित हो रहे आंगनबाड़ी केन्द्र में आधारभूत सुविधा यथा-स्वच्छ पेयजल, शौचालय एवं विद्युतीकरण की उपलब्धता है अथवा नही (प्रारूप संलग्न) की सूचना भी उपलब्ध करायें।

3. नवीन शासनादेश संख्या-250/60-2-19 -2/3(49)/05 दिनांक 21.01.2019 के अनुसार किराये पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को किराये का भुगतान हो रहा है अथवा नही। यदि नवीन शासनादेश के अनुसार किराये के भुगतान में कोई समस्या है तो तथ्यों के साथ आख्या में उसका उल्लेख करें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि किराये पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का प्रमाण पत्र तथा आधारभूत सुविधा हेतु सूचना निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 05/07/21 तक निदेशालय में ई0मेल आई0डी0- icdsawcn2@gmail.com पर उपलब्ध कराते हुए आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण एवं आधारभूत की गूगल शीट पर भी किराये पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों की सूचना को अपडेट कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 सारिका मोहन)
निदेशक

पृष्ठांकनः /तद्दिनांक
प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव, बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 सारिका मोहन)
निदेशक

Scanned with CamScanner